न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2022 / 45

1. दयाराम मीना दत्तक पुत्र स्व. तीजा देवी पत्नी स्व. बीज्या जाति मीना निवासी ग्राम लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल निवासी नाहरी का नाका शास्त्रीनगर जयपुर।
2. प्रभूनारायण मीना दत्तक पुत्र स्व. तीजा देवी पत्नी स्व. बीज्या जाति मीना निवासी ग्राम लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल निवासी नाहरी का नाका शास्त्रीनगर जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव पता जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व एक्ट, 1955 विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.11.2021 न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर प्रकरण संख्या 04 / 2021 उनवानी दयाराम व अन्य बनाम तहसीलदार व अन्य।

उपस्थित—

1. श्री भगवान सहाय शर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. नं. 1 की ओर से ।
3. श्री हीरा लाल सैनी, रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक —06.03.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 18.11.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलान्ट श्री दयाराम मीना दत्तक पुत्र स्वर्गीय तीजा देवी पत्नि स्वर्गीय बीज्या ग्राम लांगडियावास में न्यायालय अति. जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के निर्णय दिनांक 27.07.2021 की प्रमाणित प्रति के साथ प्रार्थना पत्र न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ में दिनांक 05.08.2021 को प्रस्तुत किया। न्यायालय अति. जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के निर्णय दिनांक 27.07.2021 में तहसीलदार जमवारामगढ के आदेश दिनांक 22.01.1993 बाबत नामान्तरकरण संख्या 348 ग्राम लांगडियावास में वर्णित खसरा नम्बर 231 में आंवटी स्वर्गीय तीजा देवी पत्नि स्वर्गीय बीज्या को आंवटित भूमि की हद तक निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 231 में आंवटी स्वर्गीय तीजा को आंवटित भूमि की सीमा तक उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात के आधार पर बाद जांच व्याप्त कानूनी प्रक्रिया तथा व्याप्त कानूनी प्रावधानुसार गुणावगुण के आधार पर 60 दिवस में पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2021 द्वारा प्रार्थीगण द्वारा लांगडियावास स्थित गत खसरा नम्बर 231 हाल खसरा नम्बर 222 में आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 23.05.1979 को आंवटी श्रीमति तीजा देवी पत्नी बीज्या मीना को आंवटन किये गये 10 बीघा भूमि पर गैर खातेदारी / खातेदारी अधिकार के योग्य नहीं है। अतः विचाराधीन आंवटन का प्रार्थीगण के नाम रिकार्ड में अमल किया जाना उचित नहीं है। स्वंय विधि द्वा जविप्रा सीमा में स्थित सभी सरकारी भूमि का नामान्तरकरण राजस्व विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ.6(9) रेव—6 / 96 पार्ट / 39 दिनांक 8.12.2010 के अन्तर्गत जयपुर विकास

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्राधिकरण के हक में करना अनिवार्य है । अतः तहसीलदार जमवारामगढ का आदेश दिनांक 22.01.1993 बाबत नामान्तरकरण संख्या 348 ग्राम लांगडियावास खसरा नं 231 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार (भू अभिलेख) जमवारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में राजस्थान भू.राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत रेफरेन्स तैयार कर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर को भिजवाया जाने के आदेश पारित किये गये।

3. तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर दिनांक 18.11.2021 के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी दयाराम मीना वगै. द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश 18.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वाके ग्राम लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 231 रकबा 10 बीघा भूमि अपीलार्थीगण की दत्तक माता तीजा देवी पत्नी स्व. बीज्या को दिनांक 23.05.1979 को अनुसूचित जनजाति की व कमजोर महिला भूमिहीन होने के कारण आंवटित की गई, तथा आवंटित भूमि का वास्तविक व भौतिक कब्जा भी सौंपा गया। अपीलार्थीगण की माता तीजा देवी पत्नी बींज्या ने अपने जीवनकाल तक उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहे और आवंटित भूमि को उपजाउ बनाने, समलत करने में भारी परिश्रम एवं धन खर्च किया। माता तीजा देवी के स्वर्गवास के बाद अपीलार्थीगण उक्त आवंटित भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलार्थीगण की माता तीजा देवी को आवंटित भूमि गत खसरा नम्बर 231 रकबा 10 बीघा से बने हाल खसरा नम्बर 222 में से आवंटित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 348 दिनांक 22.01.1993 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम स्वीकृत किये जाने पर उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने पर अपीलार्थीगण ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष अपील संख्या 09/2021 प्रस्तुत की, जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.07.2021 को अपीलार्थीगण की अपील को आंशिक स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 348 दिनांक 22.01.1993 को ग्राम लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में वर्णित खसरा नम्बर 231 में आंवटी स्व. तीजा पत्नी स्व. बीज्या को आवंटित भूमि की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण को तहसीलदार जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 231 में आवटी स्व. तीजा को आवंटित भूमि वाके ग्राम लांगडियावास की सीमा तक उभय पक्षकारान को विधिवित नोटिस जारी कर नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात के आधार पर बाद जांच व्याप्त कानूनी प्रक्रियां तथा व्याप्त कानूनी प्रावधान अनुसार गुणावगुण के आधार पर 60 दिवस में पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील जमवारामगढ द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.07.2021 की अनुपालना में प्रकरण संख्या 04/2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर पत्रावली में दिनांक 18.11.2021 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर नामान्तकरण संख्या 348 दिनांक 22.01.1993 को यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 18.11.2021 से पीड़ित होकर अपीलार्थीगण द्वारा मुख्य आधारो पर प्रस्तुत है– अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम के निर्णय दिनांक 18.11.2021 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 348 दिनांक 22.01.1993 ग्राम लांगडियावास तहसील जमवारामगढ में वर्णित खसरा नम्बर 231 में से स्व. तीजा पत्नी स्व बीज्या को आवंटित भूमि की हद तक निरस्त किया, जिसकी सुनवाई का अवसर देते हुये निर्णय पारित करने बाबत नामान्तरकरण संख्या 348 को अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ ने राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटन आदेश की वैधानिकता के बाबत अपना मत प्रकट कर निर्णय पारित किया है, जबकि कानूनन आवंटन नियम 1970 के तहत किये गये आवंटन आदेश की वैधनिकता की जांच का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर को प्राप्त है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय अपने में निहित क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया है जो सरसरी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय को केवल मात्र आवंटन आदेश के आधार पर आवंटी के वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण संख्या 348 में अंकित भूमि में से गैर खातेदारी का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम स्वीकृत किया जाना चाहिये था, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 व 135 में दिये गये प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह तथ्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वीकृत रूप से रहा है कि आवंटी को आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 23.05.1979 को ग्राम लांगडियावास स्थित भूमि साबिक खसरा नम्बर 231 में से 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। आवंटन आदेश आज दिनांक तक प्रभावी है, राजस्व अधिकारी/राजस्व कर्मियों द्वारा आवंटन आदेश की पालना नही करने के कारण उक्त आवंटित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक रही, जिस कारण से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम प्रश्नाधीन नामान्तरकरण से अंकित हुई, इस प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अपीलार्थीगण की दत्तक माता स्व. तीजा पत्नी स्व. बीज्या के नाम आवंटित भूमि का भी नामान्तरकरण स्वीकृत हो गया, जो कि अपीलार्थीगण के हक, अधिकारों के विरूद्व होने के कारण शुन्य है, चूँकि कानूनन जब तब आवंटन आदेश निरस्त नही हो जाता, तब तक अपीलार्थीगण की दत्तक माता स्व. तीजा पत्नी स्व. बीज्या को आवंटित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अंकित नही की जा सकती है । आवंटन अधिकारी द्वारा किसी प्रकरण में आदेश की अवहेलना किये जाने पर दोषी आवंटी व्यक्ति को नही माना जा सकता है, चूँकि आवंटन के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत नही करना स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की गलती है, जिसको नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। सुयोग्य पीठासीन अधिकारी महोदय ने मौका निरीक्षण, स्वयं मौके पर नही जाकर कार्यालय में बैठकर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की है, जिसकी पुष्टि इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर किसी भी स्वतंत्र गवाह ग्रामवासी के हस्ताक्षर नही है, अन्यथा भी स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्वांतो के प्रतिकूल होने के कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। खसरा नम्बर 231 रकबा 544 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से कुल 33 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई, सभी आवंटियों का कब्जा काश्त व खातेदारी में चली आ रही है। अपीलार्थीगण की माता तीजा देवी द्वारा विवादग्रस्त भूमि को समतल करवाकर काश्त की जा रही है, मौके पर उक्त भूमि में अपीलार्थीगण द्वारा बीजी गई फसल खड़ी है, उक्त स्थिति के विपरीत अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा गलत मौका निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की है, जिसके आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। विवादग्रस्त भूमि मौके पर समलत कृषि योग्य है, जिस पर लगातार कृषि की जा रही है। मौके पर नदी, नालो के रूप में नही है । खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2008 से भी उक्त भूमि नदी, नाले के रूप में नहीं है, सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में मौके व रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अपीलार्थी संख्या को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु कोई नोटिस ही जारी नही किया गया, ओर ना ही सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। इसलिये अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि तथ्यों का अपने निर्णय में विवेचन किये बिना पारित निर्णय निरस्तनीय है। आवंटन केवल मात्र फोड, मिसरिप्रजेंटेशन के आधार पर ही खारिज किया जा सकता है, प्रस्तुत प्रकरण में श्रीमती तीजा देवी पत्नी बीज्या जो कि अपीलार्थीगण की दत्तक माता है, जिसे भूमिहीन अनुसूचित जनजाति की महिला होने के कारण खसरा नम्बर 231 में से 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया, जो कि किसी भी अवस्था में चुनौती दिये जाने योग्य नही है इसलिये उक्त आवंटन के आधार पर गैर खातेदारी नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना आज्ञापक है, उक्त अहम कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.11.2021 को पारित किया गया, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस. एम. डब्लू (सी) संख्या 3/2020 में विविध आवेदन एस.एम.डब्लू संख्या 665/2021 एवं 3/2022 के द्वारा मियाद की अवधि के विस्तार में स्वप्रसंज्ञान लेते हुये अपने निर्णय दिनांक 23.09.2021 एवं 10.01.2022 के द्वारा कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रार्थना पत्र, दावा,

संभागीय आयुक्त

परिवाद व अपील प्रस्तुत करने में अन्य किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही में मियाद से छूट दी गई है, माननीय न्यायालय मियाद में यह छूट दिनांक 15.03.2020 से प्रभावी होकर दिनांक 28.02. 2022 तक प्रभावी है इस कारण प्रार्थीगण की अपील उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अन्दर मियाद माना जाना प्रार्थनीय है । इस प्रकार अपील पेश करने में हुई देरी को मियाद से माफी दिया जाने योग्य है । जिसके बाबत मियाद से माफी दिये जाने का अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 348 दिनांक 22.01.1993 ग्राम लांगिडयावास को अपीलाधीन आराजी साबिक खसरा नम्बर 231 रकबा 10 बीघा हाल खसरा नम्बर 222 रकबा 10 बीघा की सीमा तक निरस्त किया जाकर विवादग्रस्त आराजी के सम्बंध में आवंटन आदेश दिनांक 23.05.1979 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने बाबत तहसीलदार तहसील जमवारामगढ को आदेश प्रदान करने की कृपा करें अन्य अनुतोष बहक अपीलार्थीगण माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान किया जावें ।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का लांगडियावास को रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट मय राजस्व रिकार्ड के प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। प्रार्थी ने आंवटन हेतु आवेदन पत्र, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कार्यवाही दिनांक 23 मई 1979 भूमि एकीकरण मिलान क्षेत्रफल, वर्तमान मिलान क्षेत्रफल, खतौनी भूमि एकीकरण, सेटलमेन्ट खतौनी सम्वत 2008, वर्तमान जमाबन्दी बतौर साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी ग्राम लांगडियावास के गत खसरा नम्बर 231 रकबा 417 बीघा 17 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बेहड हाल खसरा नम्बर 222 रकबा 86.84 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा नम्बर 03 रकबा 18.78 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी खसरा नम्बर 222 मं प्रार्थी का कब्जा है। उक्त खसरा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान याचिका के प्रकरण से प्रभावित है। रिपोर्ट पटवारी कब्जा काश्त एवं काश्त के सन्दर्भ में अस्पष्ट होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने विचाराधीन भूमि खसरा नम्बर 222 का दिनांक 21.09.2021 को स्वंय मौका निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विचाराधीन भूमि मौके पर उबड खाबड, गहरे नालेनुमा व बंजड है। मौके पर जमीन पर गहरे गहरे नाले है, मौके पर तारबन्दी नहीं है। जमीन पर घास फूस एवं छोटी छोटी झाडियां उगी हुई है। कहीं कहीं पर कीकर, बबूल के पेड उगे हुए हैं। मौके पर उक्त जमीन समतल नहीं है न ही समतल कर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के पर्यास किये गये हैं। मौके की वर्तमान स्थिति, जमीन की स्थलाकृति और प्राकृतिक घास फूस की उपज देखकर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का कब्जा एवं काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील कार्यालय की भू–अभिलेख शाखा में पुराने खसरा परिवर्तनशील का अवलोकन किया गया। किन्तु खसरा परिवर्तनशील में किसी भी वर्ष में आंवटी/प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त नहीं है। आंवटन के पश्चातवर्ती वर्षों की खसरा गिरादवरी की नकल ली गई जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। किन्तु खसरा गिरदावरी मे आंवटी/प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त का अंकन नहीं मिला। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 14(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि आंवटी को जबतक खातेदारी अधिकार नहीं मिल जावे तब तक आंवटन शर्तों की पालना करनी होगी, किन्तु विचाराधीन प्रकरण में आंवटी/प्रार्थीगण द्वारा आंवटन शर्तों की पालना नहीं की गई तथा न ही प्रार्थीगण द्वारा गत एवं हाल कब्जाकाश्त का कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया गया। उक्त भूमि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित होने के कारण आंवटन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित है। सम्वत 2008 की खतौनी के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 231 के गत खसरा नम्बरों की किस्म गैर मुमकिन नदी एवं बेहड दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गैर मुमकिन नदी का आंवटन/नियमन प्रतिबन्धित है। प्रार्थीगण द्वारा लांगडियावास स्थित गत खसरा नम्बर 231 हाल खसरा नम्बर 222 में आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 23.05.1979 को आंवटी श्रीमती तीजा देवी पत्नि बीज्या मीना को आंवटन किये जाने गये 10 बीघा भूमि पर गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार के योग्य नहीं है। अतः विचाराधीन आंवटन का प्रार्थीगण के नाम रिकार्ड में अमल किया जाना उचित नहीं है। स्वंय विधि द्वारा जविप्रा सीमा में स्थित सभी सरकारी भूमि का नामांतरकरण राजस्व विभाग

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिसूचना क्रमांक एफ6(9)रेव–6/96 पार्ट/39 दिनांक 8.12.2010 के 2010 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के हक में करना अनिवार्य है। अतः तहसीलदार जमवारामगढ का आदेश दिनांक 22.01.1993 बाबत नामान्तकरण संख्या 348 ग्राम लांगडियावास खसरा नं. 231 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार (भू–अभिलेख) जमवारामगढ को निर्देशित किया जाता है उक्त प्रकरण में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत रेफरेन्स तैयार कर जिला कलक्टर जयपुर को भिजवाये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.11.2021 को यथावत रखा जावे तथा अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट नं. 2 ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2021 उचित एवं विधिसम्मयक है। अत अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेंकों ऐसी नजीरें है। जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि श्री दयाराम मीना दत्तक पुत्र स्वर्गीय तीजा देवी पत्नि स्वर्गीय बीज्या ग्राम लांगडियावास में न्यायालय अति. जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के निर्णय दिनांक 27.07.2021 की प्रमाणित प्रति के साथ प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ में दिनांक 05.08.2021 को प्रस्तुत किया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के निर्णय दिनांक 27.07.2021 में तहसीलदार जमवारामगढ के आदेश दिनांक 22.01.1993 बाबत नामान्तरकरण संख्या 348 ग्राम लांगडियावास में वर्णित खसरा नम्बर 231 में आंवटी स्वर्गीय तीजा देवी पत्नि स्वर्गीय बीज्या को आंवटित भूमि की हद तक निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 231 में आवंटी स्वर्गीय तीजा को आंवटित भूमि की सीमा तक उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर नियमानुसार सुनवाई का अवसर देकर प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात के आधार पर वाद जांच व्याप्त कानूनी प्रकिया तथा व्याप्त कानूनी प्रावधानुसार गुणावगुण के आधार पर 60 दिवस में पुनः निर्णय पारित करें। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ ने पटवारी हल्का लांगडियावास को रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट मय राजस्व रिकार्ड के प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। प्रार्थी ने आंवटन हेतु आवेदन पत्र, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कार्यवाही दिनांक 23 मई 1979 भूमि एकीकरण मिलान क्षेत्रफल, वर्तमान मिलान क्षेत्रफल, खतौनी भूमि एकीकरण, सेटलमेन्ट खतौनी सम्वत 2008, वर्तमान जमाबन्दी बतौर साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी ग्राम लांगडियावास के गत खसरा नम्बर 231 रकबा 417 बीघा 17 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन बेहड हाल खसरा नम्बर 222 रकबा 86.84 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा नम्बर 03 रकबा 18.78 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी खसरा नम्बर 222 मं प्रार्थी का कब्जा है। उक्त खसरा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान याचिका के प्रकरण से प्रभावित है। रिपोर्ट पटवारी कब्जा काश्त एवं काश्त के सन्दर्भ में अस्पष्ट होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने विचाराधीन भूमि खसरा नम्बर 222 का दिनांक 21.09.2021 को स्वंय मौका निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण के दौरान पाया गया कि विचाराधीन भूमि मौके पर उबड खाबड, गहरे नालेनुमा व बंजड है। मौके पर जमीन पर गहरे गहरे नाले है, मौके पर तारबन्दी नहीं है। जमीन पर घास फूस एवं छोटी छोटी झाडियां उगी हुई है। कहीं कहीं पर कीकर, बबूल के पेड उगे हुए हैं। मौके पर उक्त जमीन समतल नहीं है न ही समतल कर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के पर्यास किये गये हैं। मौके की वर्तमान स्थिति, जमीन की स्थलाकृति और प्राकृतिक घास फूस की उपज देखकर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का कब्जा एवं काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील कार्यालय की भू–अभिलेख शाखा में पुराने खसरा परिवर्तनशील का अवलोकन किया गया। किन्तु खसरा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

परिवर्तनशील में किसी भी वर्ष में आंवटी/प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त नहीं है। आंवटन के पश्चातवर्ती वर्षो की खसरा गिरादवरी की नकल ली गई जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। किन्तु खसरा गिरदावरी मे आंवटी/प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त का अंकन नहीं मिला। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 14(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि आंवटी को जबतक खातेदारी अधिकार नहीं मिल जावे तब तक आंवटन शर्तों की पालना करनी होगी, किन्तु विचाराधीन प्रकरण में आंवटी/प्रार्थीगण द्वारा आंवटन शर्तों की पालना नहीं की गई तथा न ही प्रार्थीगण द्वारा गत एवं हाल कब्जाकाश्त का कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया गया। उक्त भूमि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित होने के कारण आंवटन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित है। सम्वत 2008 की खतौनी के अनुसार उक्त खसरा नम्बर 231 के गत खसरा नम्बरों की किस्म गैर मुमकिन नदी एवं बेहड दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गैर मुमकिन नदी का आंवटन/नियमन प्रतिबन्धित है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 14(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि आंवटी को जबतक खातेदारी अधिकार नहीं मिल जावे तब तक आंवटन शर्तों की पालना करनी होगी, किन्तु विचाराधीन प्रकरण में आंवटी/प्रार्थीगण द्वारा आंवटन शर्तों की पालना नहीं की गई तथा न ही प्रार्थीगण द्वारा गत एवं हाल कब्जाकाश्त का कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया गया। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 14(3) के मुताबिक आंवटी को आंवटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग एवं शेष भाग को दूसरे वर्ष में जोतना पडेगा किन्तु मुताबिक फर्द मौका रिपोर्ट तहसीलदार एवं खसरा गिदावरी गत, हाल के मुताबिक विचाराधीन प्रकरण में आंवटन से आदिनांक तक आंवटी/प्रार्थीगण द्वारा आंवटित भूमि को नहीं जोता गया है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 18(4) में प्रावधान है दिनांक 29.09.1999 के पूर्व के आंवटनों में यदि आंवटी द्वारा आंवटन के प्रथम वर्ष में आंवटित भूमि के 50 प्रतिशत भाग एवं द्वितीय वर्ष में शेष भाग पर खेती नहीं की गई हो उसका आंवटन निरस्त नहीं किया गया है, उन्हें खातेदारी अधिकारी दिये जा सकेगे यदि वे गत तीन वर्षो से उक्त आंवटित भूमि पर खेती कर रहे है तथा आंवटन की अन्य शर्तो को पूर्ण करते है किन्तु विचाराधीन प्रकरण में हाल खसरा गिरदावरी एवं तहसीलदार द्वारा किये गये मौका निरीक्षण में प्रार्थी का कब्जाकाश्त नहीं पाया गया। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 14-8(ए) में स्पष्ट प्रावधान है कि आंवटन की शर्तो के सर्वथा अनुरूप आंवटित भूमि पर कृषि नहीं की गई है और समुचित रूप से उसका उपयोग नहीं किया गया है तो बिना प्रतिकार या संदाय किये भूमि राज्य सरकार द्वारा पुनग्रहित की जा सकेगी। प्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है एवं आज दिनांक तक विचाराधीन भूमि पर कृषि नहीं की गई है। साथ ही विचाराधीन भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित होने के कारण आंवटन नियमन हेतु प्रतिबन्धित है। प्रार्थीगण द्वारा लांगडियावास स्थित गत खसरा नम्बर 231 हाल खसरा नम्बर 222 में आंवटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 23.05.1979 को आंवटी श्रीमती तीजा देवी पत्नि बीज्या मीना को आंवटन किये जाने गये 10 बीघा भूमि पर गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार के योग्य नहीं है। अतः विचाराधीन आंवटन का प्रार्थीगण के नाम रिकार्ड में अमल किया जाना उचित नहीं है। स्वंय विधि द्वारा जविप्रा सीमा में स्थित सभी सरकारी भूमि का नामांतरकरण राजस्व विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ6(9)रेव-6/96 पार्ट/39 दिनांक 8.12.2010 के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के हक में करना अनिवार्य है। अतः तहसीलदार जमवारामगढ का आदेश दिनांक 22.01.1993 बाबत नामान्तकरण संख्या 348 ग्राम लांगडियावास खसरा नं. 231 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार (भू-अभिलेख) जमवारामगढ को निर्देशित किया जाता है उक्त प्रकरण में राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत रेफरेन्स तैयार कर जिला कलक्टर जयपुर को भिजवाये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के हक में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2021 उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.11.2021 यथावत रखा जाता है।

(डॉ.आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 06.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।